उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग-2

संख्या-231/ग्यारह-2-22-9(47)/17-टी.सी.180-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(231)-2022

लखनऊः दिनांकः 31 मार्च, 2022

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा11 की उप धारा (1) और धारा 16 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, एतद्द्वारा ऐसे माल की अंत:राज्यीय पूर्ति को, जिसका वितरण नीचे सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट है और जो उक्त सारणी के स्तम्भ (2) की तत्समान प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट टैरिफ मद, उप शीर्ष, शीर्ष या अध्याय के अंतर्गत आता है, उक्त सारणी के स्तम्भ (5) की तत्समान प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट इस अधिसूचना में अनुलग्न सुसंगत शर्तो के अधीन रहते हुए, उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 9 के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय उतने राज्य कर से छूट प्रदान करती हैं, जो उक्त सारणी के स्तम्भ (4) की तत्सम्बन्धी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर पर आगणित धनराशि से अधिक है:-

सारणी

क्रमांक	टैरिफ मद, उप शीर्ष, शीर्ष या अध्याय	विवरण	दर	शर्त संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	6815	फ्लाई ऐश की ईंटें या फ्लाई ऐश जिसमें कुल मिलाकर 90 प्रतिशत या इससे अधिक फ्लाई ऐश हो; फ्लाई ऐश ब्लॉक्स	3%	1
2.	6901 00 10	सिलिकामय जीवाश्मी अवचूर्ण या वैसी ही सिलिकामय मिटटी की ईंटें	3%	1
3.	6904 10 00	निर्माणी ईंटें	3%	1
4.	6905 10 00	फर्श की या छत की टाइलें	3%	1

स्पष्टीकरण -

(i) इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, "टैरिफ मद", "उपशीर्ष", "शीर्ष" और "अध्याय" का तात्पर्य, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (अधिनियम संख्या 51 सन् 1975) की प्रथम अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट क्रमशः टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष और अध्याय से होगा।

(ii) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (अधिनियम संख्या 51 सन् 1975) की प्रथम अनुसूची, जिसके अंतर्गत प्रथम अनुसूची के अनुभाग और अध्याय गत टिप्पणियां तथा साधारण स्पष्टीकरण सम्बंधी टिप्पणियां सम्मिलित हैं, के निर्वचन के लिए नियम, यथाशक्य इस अधिसूचना के निर्वचन के लिए लागू होंगे।

उपाबंध

शर्त संख्या	शर्त
1	(क) ऐसे माल की पूर्ति में अनन्यरुप से प्रयुक्त माल या सेवाओं पर प्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय नहीं लिया गया है; और (ख) ऐसे माल की पूर्ति के लिए प्रयुक्त माल या सेवाओं पर प्रभारित इनपुट कर प्रत्यय और इनपुट कर प्रत्यय के लिए पात्र अन्य पूर्तियों को आंशिक रूप से प्रभावित करने के लिए, इस प्रकार उलट दिया जाता है कि मानो ऐसे माल की पूर्ति कोई छूट प्राप्त पूर्ति हो और उत्तर प्रदेश माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धरा 17 की उपधारा (2) और तद्धीन बनाये गए नियम के उपबंध लागू होते ।

2. यह अधिसूचना तारीख 1 अप्रैल, 2022 को प्रवृत्त होगी।

आज्ञा से,

(संजीव मित्तल)

अपर मुख्य सचिव